राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प खेड़
तहसील पचपदरा, पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

मुकदमा नम्बर – 419 /2017

प्रार्थीगण :–

1. नाथूराम पुत्र गैनाराम
2. चौथाराम पुत्र गैनाराम
3. मोमताराम पुत्र गैनाराम कौम भील निवासीयान–होटलू तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. नरसिंगाराम पुत्र खीमाराम
2. भीखाराम पुत्र खीमाराम
3. मादाराम पुत्र खीमाराम
4. सुन्दरदेवी पत्नि खीमाराम
5. पेमाराम पुत्र गैनाराम
   5/1 ढल्लाराम पुत्र पेमाराम
   5/2 झम्मूदेवी पत्नि पेमाराम जाति भील
6. नकाराम पुत्र खीमाराम भील
7. ढप्पी देवी पत्नि मगाराम सर्का
8. पुनीदेवी पत्नि बाबूलाल
9. पप्पाराम पुत्र रामाराम कौम भील साकिन होटलू तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आर एन आर एक्ट 111,128

आदेश **दिनांक : 15.06.2018**

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार खेड में पेश हुई प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत सरहद मौजा के खेत खसरा न0 111 रकबा 39.13 बीघा, 112 रकबा 01.17 बीघा, ख0न0 120 रकबा 6.00 बीघा, 214 रकबा 0.8 बीघा सरहद मौजा होटलू पटवार क्षेत्र बिठुजा तहसील पचपदरा में स्थित है। विप्रार्थीगण संख्या 01 ता 10 उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है, प्रार्थीगण के खेत के पडोसी होने के कारण अक्सर विप्रार्थीगण मेढो को लेकर विवाद करते रहते है।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी स्वयं उपस्थित प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। विप्रार्थीगण

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

को जरिये सम्मन दिनांक 20.5.2018 को जारी किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज ,होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 को सम्मन बाद तामिल की प्राप्ति रसीदे पेश हुई । उसके बावजूद भी अनुपतिस्थत अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने हेतु भूमापक कर्ता को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता जसोल को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता का यह भी निर्देश दिये जाते है कि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना ,मुस्तंकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे । तहरीर जारी हो। भू– मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के बाद तामिल के दाखिल दफतर हो ।

आदेश न्याय आपके द्वार मे सुनाया गया ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प........................

Scanned by CamScanner